सत्यमेव जयते
राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बून्दी (राज0)

पीठासीन अधिकारी :— शिवराज मीणा, आर.ए.एस. (उपखण्ड अधिकारी)

वाद संख्याः— 87 / प्रा0पत्र / 2023 दायरा दिनांक :—14.06.2023

GCMS ID—2023 / 385

उनवान

1. खाना आ0 शोनाथ जाति बैरवा निवासी रेण तह0 हिण्डोली जिला बन्दी।
2. मोहन आ0 शोनाथ जाति बैरवा निवासी रेण तह0 हिण्डोली जिला बन्दी।
3. गंगल्या आ0 रूघा जाति बैरवा निवासी रेण तह0 हिण्डोली जिला बन्दी।
4. रामदेव आ0 रूघा जाति बैरवा निवासी रेण तह0 हिण्डोली जिला बन्दी।
5. सुखपाल आ0 रूघा जाति बैरवा निवासी रेण तह0 हिण्डोली जिला बन्दी।
6. कैलाशी पत्नी खाना जाति बैरवा निवासी रेण तह0 हिण्डोली जिला बन्दी।

प्रार्थीगण

बनाम

1. राजेन्द्र सिंह आ0 भंवरसिह जाति राजपूत निवासी रेण तह0 हिण्डोली जिला बून्दी।
2. मदनसिह आ0 नन्दसिंह जाति राजपूत निवासी रेण तह0 हिण्डोली जिला बून्दी।
3. उदयसिंह आ0 किशनसिंह जाति राजपूत निवासी रेण तह0 हिण्डोली जिला बून्दी।
4. गोपाल सिंह आ0 किशनसिंह जाति राजपूत निवासी रेण तह0 हिण्डोली जिला बून्दी।
5. राजस्थान राज्य जर्ये तहसीलदार हिण्डोली जिला बून्दी राज।

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र :— अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम

वकील प्रार्थी :— श्री चन्द्रप्रकाश जैन

वकील अप्रार्थीगण :— शम्भूदयाल शर्मा

आदेश

दिनांक : 26.05.2025

प्रार्थीगण का मुख्य रूप से कथन है कि प्रार्थीगण की भूमि खाता संख्या 266 खसरा संख्या 953, 954, 955, 956, 956 / 1346, 957, 959, 960, 961 कुल किता 9 कुल रकबा 2.8328 हैक्टेयर वाके ग्राम रेण पटवार हल्का रेण तहसील हिण्डोली जिला बून्दी राज0 में स्थित है, जो प्रार्थीगण की खातेदारी में दर्ज है। प्रार्थीगण उक्त भूमि पर निरन्तर निर्बाध रूप से काबिज काश्त करते चले आ रहे है। प्रार्थी की प्रार्थना है कि चरण संख्या 1 में वर्णित भूमियों के अगल—बगल अप्रार्थी संख्या 1 व 4 की भूमिया स्थिति है, जो बिना कारण अप्रार्थीगण, प्रार्थीगण

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

Email- sdohindoli@gmail.com Phone no-7436276446

की भूमियों पर कब्जा करने की नियम से सीमा सम्बन्धी विवाद करते है तथा जबरन प्रार्थीगण की भूमि पर कब्जा करने की कुचेष्टा करते है, और प्रार्थीगण की भूमि के अन्दर अपनी भूमि होने का उज्र करते है, जबकि प्रार्थीगण अपने खाते में दर्ज भूमि पर ही काबिज होकर काश्त करते आ रहे है। परन्तु अप्रार्थीगण अपनी भूमि की सीमा को पार कर जबरन प्रार्थी की भूमियों को अपनी भूमि बताकर अतिक्रमण करना चाहते है। और आये दिन बिना कारण प्रार्थीगण की भूमि की मेडों को तोडने का प्रयास करते है प्रार्थी ने अपनी भूमि का सीमाज्ञान करवाने हेतु दिनांक 20.07.2022 को तहसीलदार हिण्डोली के समक्ष प्रार्थना पत्र पेश किया जिस पर हल्का पटवारी द्वारा उक्त भूमि को वादग्रस्त बताते हुये सीमज्ञान करने मना कर दिया तथा दिनांक 15.05.2023 को अप्रार्थीगण एकराय होकर प्रार्थीगण की भूमियों पर आ गये और जबरन भूमि की मेडो को तोडने का प्रयास किया प्रार्थीगण ने मना किया तो गाली गलोच कर मारपीट करने पर आमादा हुये तथा धमकी दी कि हम तुम्हारी भूमियों पर कब्जा करके रहेंगे और तुम्हारी सीमाओं की मेडो को तोडकर हमारी भूमि में मिलायेगे और तुझे उक्त भूमि की पत्थरगढी नहीं करने देगे। यही प्रार्थना पत्र का कारण है, जो निरन्तर चल रहा है। प्रार्थी के पास सीमा सम्बन्धी विवादों के स्पष्ट समाधान हेतु पत्थगरगढी के अलावा अन्य कोई विकल्प नहीं है। प्रार्थी को अधिकार प्राप्त है कि प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित भूमि वाके ग्राम रेण तहसील हिण्डोंली की पत्थरगढी करवाये। प्रार्थी पत्थरगढी का खर्चा वहन करने हेतु तैयार है। प्रार्थना पत्र निश्चित न्याय शुल्क व तलबाने पर प्रस्तुत है। अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी की भूमि खाता संख्या 266 खसरा संख्या 953, 954, 955, 956, 956/1346, 957, 959, 960, 961 कुल किता 9 कुल रकबा 2.8328 हैक्टेयर वाके ग्राम रेण पटवार हल्का रेण तहसील हिण्डोली जिला बून्दी राज0 की पत्थरगढी किये जाने के आदेश फरमावे। अन्य न्यायोचित सहायता जो भी सुलभ हो प्रार्थी को प्रदान की जावे।

प्रार्थना–पत्र प्रार्थीगण प्रस्तुत होने पर प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर तलबी अप्रार्थीगण जर्ये नोटिस तलब किए गए।

अप्रार्थी संख्या 01 लगायत 04 की ओर से जवाब पेश कर कथन किया कि विवादित भूमि ग्राम रेण में होना स्वीकार है, लेकिन उक्त सम्पूर्ण प्रार्थीगण कब्जा काश्त होना अस्वीकार है, प्रार्थीगण किस खसरा नम्बर की भूमि के अगल–बगल किस खसरा संख्या नम्बरों की भूमि है अंकन नहीं किया है। समीपवर्ती भूमि के खसरा नम्बर अंकित करवाये बिना प्रार्थना पत्र चलने योग्य नहीं है। वास्तविक रूप से पक्षकारों के मध्य कब्जें व सीमाबंदी को लेकर कोई विवाद नहीं है। प्रार्थीगण

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बून्दी

Email- sdohindoli@gmail.com Phone no-7436276446

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

की भूमि पर होकर अप्रार्थीगण की भूमियों पर आने जाने का रास्ता वर्षो से बना हुआ है, लेकिन प्रार्थीगण के मन में बदनियती आ गई है। जो रास्ते के दूसरी तरफ पत्थरगढी करवाकर तारपेसिंग कर अप्रार्थीगण का रास्ता बंद करना चाहते है। इस आशय से प्रार्थीगण ने यह प्रार्थना पत्र पेश किया है। पक्षकारान के मध्य सीमा संबंधी कोई विवादः नहीं होने से पत्थरगढी की आवश्यकता नहीं है। पत्थरगढी के प्रार्थना पत्र में भूमि के सभी पडोसी खातेदारों को पक्षकार बनाया जाना कूननन आवश्यक है, लेकिन प्रार्थीगण ने सभी पडौसी सहखातेदारों को पक्षकार नही बनाया है। प्रार्थना पत्र कानूनी नुक्स से खारित योग्य है। प्रार्थीगण के किस खसरा नम्बर के सहारे अप्रार्थीगण के किस खसरा नम्बर की भूमि स्थित है, इसके बाबत न तो प्रार्थना पत्र में अंकित किया है और न ही नक्शा पेश किया है ऐसी स्थिति में प्रार्थना पत्र सारहीन होने से खारिज योग्य होने से खारित फरमाया जावे।

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 111 में प्रावधान निहित है कि किन्ही सीमाओं से सम्बन्धित किसी विवाद के मामले में लेण्ड रिकॉर्ड ऑफिसर, जहॉ तक संभव हो वर्तमान सर्वेक्षण नक्शे के आधार पर ऐसे विवाद निपटायेगा और यह संभव न हो अथना ऐसे नक्शे उपलब्ध न हो तो वास्तविक कब्जे के आधार पर निपटायेगा। भू–प्रबन्धन कार्य समाप्त होने पर ऐसे विवाद कलक्टर द्वारा निपटाये जाऐंगे। राज्य सरकार ने अधि.सं. एफ. 4 (64) रे. बी. ग्रुप/62 दिनांक 12.06.1963 के द्वारा ये शक्तियॉ एस0डी0ओ0 को प्रत्यायोजित कर दी है।

अभिभाषक पक्षकारान को सुना गया। बहस वकील पक्षकारान मुख्य रूप से प्रार्थना पत्र/जवाब प्रार्थना पत्र के अनुसार रही।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया, बहस वकील पक्षकारान पर मनन किया, वादग्रस्त आराजी मुताबिक नकल, जमाबंदी संवत् 2076–79 वाके ग्राम रेण पटवार मण्डल रेण तहसील हिण्डोली की खतौनी संख्या 266 के अनुसार प्रार्थीगण की सहखातेदारी में दर्ज रिकार्ड है अर्थात् प्रार्थीगण वादग्रस्त आराजी की रिकार्डेड सहखातेदार है। प्रार्थीगण द्वारा पत्रावली में जिन–जिनको अप्रार्थीगण बनाया है उनकी जमाबंदियॉ/नक्शा ट्रेस पत्रावली में पेश नहीं किए है केवल संदेह के आधार पर प्रार्थीगण की भूमियों की पत्थरगढी करवाना चाहते है। इस बाबत दौराने बहस भी वकील अप्रार्थीगण ने प्रार्थीगण किन–किन पडौसी भूमियॉ से अपनी खातेदारी भूमि की पत्थरगढी करवाना चाहता है। उन भूमियों बाबत कोई दस्तावेजात व उन भूमियों के खातेदारों को पक्षकार नहीं बनाया जाना कथन किया है, ऐसी स्थिति में प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण केवल संदेह के आधार पर पत्थरगढी करवाये जाने बाबत स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राज.) हिण्डोली जिला बूंदी

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

Email- sdohindoli@gmail.com Phone no-7436276446

—: क्रियात्मक आदेश :—

अतः प्रार्थना—पत्र प्रार्थीगण उपर वर्णित तथ्यों अनुसार संदेह से परे साबित नहीं होने से /आवश्यक पक्षकारों का संयोजन नहीं करने/दस्तावेजात पेश नहीं करने से खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 26.05.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

26/05/2025

(शिवराज मीणा)
आर0ए0एस
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बून्दी (राज.)

Email- sdohindoli@gmail.com Phone no-7436276446